43 II/निग0/सीधी/2018/0577

न्यायालय श्री मान सदस्य महोदय, राजस्व मण्डल ग्वालियार

सार्किट कोर्ट रीवा जिला रीवा म0प्र0

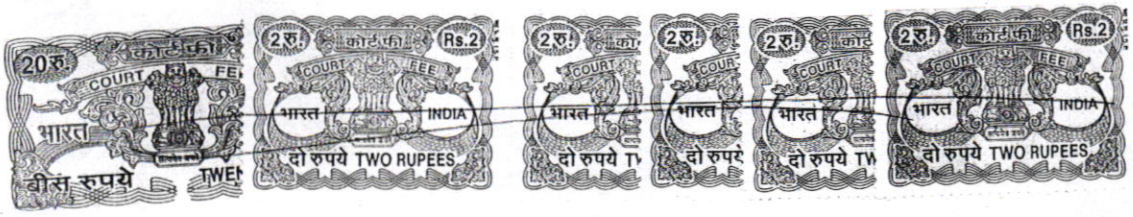

अमरकान्त तिवारी तनय रामरूप तिवारी उम्र 40 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम पैपखरा थाना व तहसील रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0

— निगरानीकर्ता

बनाम

रामदुलारे पिता रामखेलावन राम ब्रा0 उम्र 48 वर्ष पेशा खेती निवासी ग्राम पैपखरा थाना व तह0 रामपुर नैकिन जिला सीधी म0प्र0

— गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्व श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी चुरहट / रामपुर नैकिन के प्र0क0 93/अपील /17–18 के आदेश पात्रिका दिनांक 21–12–17 निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सं0

मान्यवर,

निगरानी के संक्षिप्त तथ्य निम्न है :–

गैर निगरानीकर्ता द्वारा ग्राम पैपखरा की आराजी नं0 504 रकवा 0.080 हे0 व 505 रकवा 0.004 हे0 एवं 507 रकवा 0.003 हे0 किता 3 योग रकवा 0.087 हे0 से निगरानी कर्ता को बेदखल करने का आवेदन दिया सही तथ्य यह है कि आराजी नं0 504 रकवा 0.008 हे0 भू खण्ड निगरानीकर्ता की है, जिसमें आज भी काबिज है किन्तु बन्दोबस्त की कार्यवाही के दौरान नक्शे के विसंगति के कारण पुराने नक्शे के आधार पर निगरानी कर्ता की भूमि है किन्तु नये नक्शे में गलत नक्शा बनाये जाने से निगरानीकर्ता के भूमि का रकवा कम हो जाने से गैर निगरानीकर्ता की तरफ भूमि बढ गई है इसके नक्शा सुधार करने हेतु निगरानीकर्ता द्वारा

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण क0 दो–निगरानी/सीधी/भू.रा./2018/737

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
9-7-18	आवेदकगण के अभिभाषक को निगरानी प्रकरण की ग्राह्यता पर सुना जा चुका है। आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी चुरहट/रामपुर नेकिन ने प्रकरण कमांक 93/17–18 अपील में यह मांग करने पर कि स्थगन दिया जाय अन्यथा मौके पर विवादि की स्थिति बन सकती है, पर से अंतरिम आदेश दिनांक 21–12–17 से निर्णय लिया है कि मौके पर विवाद की स्थिति बन सकती है पर थाना प्रभारी से प्रतिवेदन लिया जाय। अनुविभागीय अधिकारी के इसी अंतरिम आदेश के विरूद्व यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 2/ विचाराधीन निगरानी में विचार करना है कि अंतरिम आदेश दिनांक 21–12–17 से अनुविभागीय अधिकारी चुरहट/रामपुर नेकिन ने थाना प्रभारी से विवाद की स्थिति के सम्बन्ध में प्रतिवेदन मांगने में किसी प्रकार की त्रृटि की है अथवा नहीं ? 1. मातादीन विरूद्व म.प्र.राज्य 1985 रा0नि0 336 में बताया गया है कि किसी आदेश का निष्पादन तभी रोका जाएगा जब व्यथित पक्षकार को ऐसी अपरिमार्जिनीय क्षति की संभावना हो जिसका समुचित परिमार्जन न किया जा सके। 2. चन्द्रिकाप्रसाद विरूद्व म0प्र0राज्य 1991 रा0नि0 236 में बताया गया है कि रोक का आदेश देना या न देना न्यायालय के विवेक पर निर्भर है। इस विवेक का प्रयोग न्यायिक रूप से किया जाना चाहिये और रोक के बारे में किये गये आदेश से प्रकट होना चाहिये कि न्यायालय ने मामले के तथ्यों और विवादित प्रश्नों पर विचार किया है। उपरोक्त से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी ने रोक का आदेश देने अथवा न देने के पूर्व अंतरिम आदेश दिनांक 21–12–17 से आवेदक स्वयं व्दारा की गई मांग	

के तथ्य का पुष्टिकरण थाना प्रभारी से कराने का निर्णय लेने में त्रृटि नहीं की है जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी चुरहट/रामपुर नेकिन का अंतरिम आदेश दिनांक 21–12–17 हस्तक्षेप योग्य न होने से निगरानी अमान्य की जाती है।

सदस्य